# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 12 / कुल अनुशासक / 2014 रायपुर, दिनाँक 22/7/2014

प्रति,

समस्त अध्यक्ष / प्रमुख / प्राचार्य,
अध्ययनशाला / महाविद्यालय,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :—विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशालाओं एवं संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में रैंगिंग रोकथाम हेतु दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

विषयांतर्गत सभी शिक्षण संस्थानों में भय एवं रैंगिंग मुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु प्राप्त निम्न दिशा—निर्देशों का पालन करने का कष्ट करें :—

1. सभी संस्थान अपने यहां उचित स्थान पर पोस्टर आदि के माध्यम से रैंगिंग क्या है (संलग्न) को प्रदर्शित कर छात्र—छात्राओं को इससे अवगत कराये।
2. सभी संस्थानों में छात्र—छात्राओं को प्रवेश देते समय संलग्न प्रपत्र—1 एवं प्रपत्र—2 (शपथ पत्र) छात्र एवं माता—पिता / अभिभावक को भरना अनिवार्य है।
3. सभी संस्थान अपने यहां एक एन्टी रैंगिंग समिति गठित कर सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर सूचना पटल पर प्रदर्शित करें। तथा उसकी एक छायाप्रति विश्वविद्यालय में कुलअनुशासक कार्यालय को प्रषित करने का कष्ट करें।
4. सभी संस्थान के सूचना पटल पर रैंगिंग रोकथाम हेतु प्राप्त निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय (संलग्न) एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम—छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैंगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001 (संलग्न) को प्रदर्शित कर सभी छात्र—छात्राओं को इससे अवगत कराये।
5. सभी संस्थान UGC Regulation on curbing menace of ragging in higher educational institutions 2009 Date 17-06-2009 (The Gazatte of India, July 4, 2009) विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.prsu.ac.in** पर उपलब्ध है के बारे में छात्र—छात्राओं को अवगत करायें।
6. सभी संस्थान UGC की की वेबसाईट **www.ugc.ac.in** में रैंगिंग रोकथाम हेतु Video-clipping को छात्र—छात्राओं के बीच प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
7. रैंगिंग संबंधित समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय के कुलअनुशासक प्रो.ए.के.श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर—094242 15539 एवं फोन नंबर 0771.2263513 पर तुरंत सूचित करें।

P.T.O

द.प.उ.

8. सभी संस्थान अपने यहां एक महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ का भी गठन करेंगे तथा उक्त से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ की प्रभारी प्रो. रीता वेनुगोपाल, मोबाईल नंबर–094255 15951 पर सूचित करें।

कुलसचिव

क्रमांक 13 / कुल अनुशासक / 2014 रायपुर, दिनाँक 22/7/2014

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. विधि अधिकारी, छ.ग. मानवाधिकार आयोग, रायपुर।
4. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
5. मुख्य संरक्षक, महिला एवं पुरूष छात्रावास, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपु को सूचनार्थ।

कुलअनुशासक

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम

# छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

क्रमांक 27 सन् 2001*

[दिनांक 17 जनवरी, 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

**राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के** निवारण हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001** है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. परिभाषाएँ**— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''रैगिंग'' से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना;

(ख) ~~''शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय~~ शैक्षणिक संस्था।

**3. रैगिंग का प्रतिषेध**— किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

4. दण्ड— यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

**5. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होना**— इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

---

* छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17-1-2002 पृष्ठ 28-28 (1) पर प्रकाशित।

**6. अपराधों का विचारण**— (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

**7. छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता**— (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**Following guidelines have been laid down by Hon'ble Supreme Court to fight menace of ragging in Educational Institutions.**

1. The prospectus, the form for admission and/or any other literature issued to aspirants for admission must clearly mention that ragging is banned in the institution and any one indulging in ragging is likely to be punished appropriately.

2. If there be any legislation governing ragging or any, provisions in the Statute/Ordinances they should be brought to the notice of the students/patents seeking admissions.

3. Form for admission/enrolment shall have a printed undertaking to be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the institution's approach towards ragging and the punishments to which he or she shall be liable if found guilty of ragging. A similar undertaking shall be obtained from students already admitted and their parents.

4. A printed leaflet detailing when and to whom one has to turn for information, help and guidance for various purposes, keeping in view the needs of new entrants in the institution, alongwith the addressee and telephone numbers of such persons, should be given to freshers at the time of admissions so that the freshers need not look up to the seniors for help in such matters and feel indebted to or obliged by them.

5. The management, the principal, the teaching staff should interact with freshers and take them in confidence by apprising them of their rights as well as obligation to fight against ragging and generate confidence in their mind.

6. Institution to constitute a proctorial committee to keep a continuous watch and vigil over ragging and promptly deal with the incidents of ragging.

7. All vulnerable location shall be identified and specially watched.

8. Failure to prevent ragging shall be construed as an act of negligence on part of management, hostels wardens / superintendents.

9. The hostels/accommodations where freshers are accommodated shall be carefully guarded, and entry of seniors/outsiders to be regulated.

10. If individuals committing or abetting ragging are not identified collective punishment could be resorted to.

11. Migration certificate to contain entry indicating whether the student had participated in and in particular was punished for ragging.

12. Stoppage of financial assistance by UGC/funding agency to institutions falling to curb ragging.

13. Institution to face disaffiliation.

14. Institutions / Universities to hold activities where seniors and freshers can interact and develop friendly relationship.

# रैगिंग क्या है ?

**रैगिंग के अंतर्गत–**

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में संलग्न जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, भारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र / छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता / सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथव जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :–

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित द भय दिखा कर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

**रैगिंग का स्वरूप :–**

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है :–

स्पष्ट आदेश

* सीनियर छात्रों को "सर" कहने के लिए
* सामूहिक कवायद करने के लिए
* सीनियरों के क्लास–नोट्स उतारने के लिए
* अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
* सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
* अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
* नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए .
* शराब, उबलती हुइ चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना
* कामुक संकेतार्थ वाले कार्य–समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना
* ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे भारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा, या मृत्यु तक हो सकती है।
* नंगा करना, चुंबन लेना, आदि
* अन्य अश्लीलताएँ करना।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त हैं।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा / छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा–परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रू. 25000 / – तक।